Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

Original Article

गढ़वा जिले में प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक विकास

प्रियंका गुप्ता
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू।
Email: pryankagupta41131@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180108
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 1(A)
Pp. 32-26
January - 2026
Submitted: 15 Dec. 2025
Revised: 25 Dec. 2025
Accepted: 10 Jan. 2026
Published: 31 Jan. 2026

सारांश

गढ़वा जिले के प्राकृतिक संसाधनों में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और टंगस्टन जैसे खनिज शामिल हैं। इसके अलावा, यह जिला जल संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें कई नदियाँ और जलप्रपात हैं, साथ ही पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं और ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय हैं। खनिज संसाधन ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और चूना पत्थर: गढ़वा में इन खनिजों के भंडार हैं। टंगस्टन हाल ही में जिले में टंगस्टन का भंडार मिला है। अन्य: जिले में विभिन्न प्रकार के अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। जल संसाधन नदियाँ: कोयल, सोन, कन्हार, दानरो, सरसतिया, और बेलाती जैसी कई नदियाँ जिले से होकर बहती हैं। जलप्रपात: सुखलदारी, परसडीहा, हिसातु और गुरसंधु जिले के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। भौगोलिक और वनस्पति संसाधन पहाड़ियाँ: जिले में व्यापक रूप से बिखरी हुई पहाड़ियां हैं, जिनमें से गुलगुलपथ झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। वन: जिले में जंगल और पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जो ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए रोमांचक हैं।

मुख्य शब्द : *प्राकृतिक, खनिज, जलप्रपात, नदिया संसाधन।*

गढ़वा जिले में नवीकरणीय ऊर्जा राज्य के प्राकृतिक संसाधन, विशेष रूप से इसकी नदियाँ और धूपदार जलवायु, जलविद्युत और सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा विकास के अवसर प्रदान करते हैं। ये संसाधन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्थायी ऊर्जा समाधानों में योगदान देने में मदद कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि झारखंड का प्राकृतिक महत्व इसके प्रचुर खनिज संसाधनों, समृद्ध जैव विविधता, उपजाऊ कृषि भूमि, महत्वपूर्ण जल संसाधनों, अद्वितीय जलवायु और स्थलाकृति, पारिस्थितिक पर्यटन क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा के अवसरों में निहित है।[1] ये प्राकृतिक संपत्तियाँ राज्य के आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

गढ़वा जिले अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक क्षमता और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक पहलों के माध्यम से "विकसित भारत" के विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने विशाल खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के साथ, झारखंड "विकसित भारत" के विजन को साकार करने में आधारशिला के रूप में खड़ा है।

गढ़वा जिले में कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम और अन्य खनिजों के प्रचुर भंडार राज्य को भारत की औद्योगिक और आर्थिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[2] राज्य की प्राकृतिक संपदा न केवल देश के विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्रों को ईंधन प्रदान करती है, बल्कि व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास को भी उत्प्रेरित करती है। झारखंड के खनिज और प्राकृतिक संसाधन इस परिवर्तनकारी विजन में कैसे योगदान करते हैं, इस पर एक व्यापक नज़र डालते हैं।[3]

आर्थिक विकास और औद्योगीकरण

अपनी विशाल खनिज संपदा का लाभ उठाकर, झारखंड भारत के औद्योगिक उत्पादन, विशेष रूप से इस्पात, कोयला और अन्य आवश्यक खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। इससे निर्यात में वृद्धि, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। खनिजों के प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने से स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन हो सकता है, अधिक रोजगार अवसर पैदा हो सकते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य का योगदान बढ़ सकता है। झारखंड की रणनीतिक स्थिति और खनिज संसाधन इसे विनिर्माण उद्योगों, विशेष रूप से इस्पात, ऑटोमोटिव और भारी मशीनरी के लिए एक आदर्श केंद्र बनाते हैं। औद्योगिक समूहों को बढ़ावा देने से निवेश आकर्षित हो सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।[4]

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
प्रियंका गुप्ता , शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू।

How to cite this article:
गुप्ता, . प्रियंका . (2026). गढ़वा जिले में प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक विकास. Journal of Research & Development, 18(1(A)), 32–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.18604599

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18604599
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

गढ़वा जिले की खनिज संपदा भारत के औद्योगिक क्षेत्र का अभिन्न अंग है। यह राज्य कोयला और लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो इस्पात और ऊर्जा उद्योगों के लिए आवश्यक इनपुट हैं। "भारत की कोयला राजधानी" के रूप में विख्यात धनबाद, भारत के ताप विद्युत संयंत्रों को ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है। लौह अयस्क और तांबे से समृद्ध सिंहभूम क्षेत्र, इस्पात उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास और विनिर्माण की रीढ़ है।

रोजगार और कौशल विकास

गढ़वा जिले में खनन और औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं और सामाजिक–आर्थिक उत्थान में योगदान करते हैं। इन उद्योगों में शारीरिक श्रम से लेकर उच्च तकनीक वाली इंजीनियरिंग तक, विविध प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय आबादी में कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है। रोज़गार सृजन करके, ये क्षेत्र "विकसित भारत" के लक्ष्यों के अनुरूप गरीबी कम करने और जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करते हैं।[5]

बुनियादी ढांचे का विकास :

गढ़वा जिले के खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व को बुनियादी ढाँचे के विकास में पुनर्निवेशित किया जा सकता है। खनिजों और औद्योगिक वस्तुओं के कुशल परिवहन के लिए सड़क, रेलमार्ग और बंदरगाहों सहित बेहतर बुनियादी ढाँचा आवश्यक है। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि झारखंड का राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ारों के साथ बेहतर एकीकरण भी होगा।[6] उदाहरण के लिए, रांची–धनबाद औद्योगिक गलियारे के विकास से रसद दक्षता में वृद्धि हो सकती है, जिससे कोयले और इस्पात का भारत के अन्य भागों में परिवहन और निर्यात आसान हो जाएगा। ऐसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ लागत कम करके और कनेक्टिविटी में सुधार करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, जिससे राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित होता है।

ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता:

गढ़वा जिले के कोयला भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से ताप विद्युत उत्पादन के संदर्भ में, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उद्योगों, घरों और बुनियादी ढाँचे को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बिजली की बढ़ती माँग को देखते हुए, झारखंड की कोयला खदानें अपरिहार्य हैं। हालाँकि, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और जलविद्युत ऊर्जा, की भी प्रचुर संभावनाएँ हैं।[7]

पर्यावरण संरक्षण और सतत प्रथाएँ:

आर्थिक विकास के लिए खनन आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के साथ इसका संतुलन बनाना भी ज़रूरी है। झारखंड पर्यावरणीय क्षति को कम करने वाली स्थायी खनन पद्धतियों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसमें उत्सर्जन कम करने, अपशिष्ट प्रबंधन और खनन क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए तकनीकों को अपनाना शामिल है। स्थायी खनन यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और ज़िम्मेदारी से उपयोग किया जाए और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए।[8]

कृषि विकास और जल संसाधन:

गढ़वा जिले की उपजाऊ भूमि और जल संसाधन भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक कृषि पद्धतियों और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देकर, राज्य कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। उन्नत सिंचाई तकनीकों के उपयोग से जल का अधिकतम उपयोग हो सकता है, जिससे कृषि और उद्योग दोनों को लाभ होगा।[9] कृषि–आधारित उद्योगों के विकास से कृषि उपज का मूल्यवर्धन हो सकता है, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बन सकते हैं। यह विविधीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाता है, जिससे यह अधिक लचीली बनती है और एकल उद्योगों पर कम निर्भर होती है।

नीति और शासन:

राष्ट्रीय विकास के लिए झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने हेतु प्रभावी शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधनों का पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि लाभ समान रूप से वितरित हों और पर्यावरणीय नियमों का पालन हो। सतत खनन, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ समावेशी विकास को गति प्रदान कर सकती हैं।[10]

गढ़वा जिले के खनिज और प्राकृतिक संसाधन भारत के "विकसित भारत" के दृष्टिकोण का आधार हैं। अपने संसाधनों के ज़िम्मेदार और नवोन्मेषी दोहन के माध्यम से, राज्य औद्योगिक विकास को गति दे सकता है, रोज़गार सृजन कर सकता है और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे सकता है। सतत कार्यप्रणाली, प्रभावी शासन और समावेशी नीतियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि इस विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो।

गढ़वा जिले अपनी प्राकृतिक संपदा का उपयोग करते हुए न केवल समृद्धि की ओर अग्रसर है, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार के इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों, विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता, अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार और वैश्विक नेतृत्व की आवश्यकता है। साथ ही, हरित और टिकाऊ नीतियों को अपनाने की भी आवश्यकता है।[11]

गढ़वा जिले –16वें वित्त आयोग के समक्ष झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों के अभिशाप का उदाहरण है. प्राकृतिक संसाधन से पूर्ण रहने के बावजूद झारखंड अल्प आय वाला राज्य है. प्रधानमंत्री

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए सभी राज्यों को विकसित करना जरूरी है. झारखंड का 30 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है. इस कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को वन एवं पर्यावरण स्वीकृति की सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।[12] इससे परियोजनाओं में विलंब होता है और उनकी लागत बढ़ जाती है. देश की कुल खनिज संपदा का 40 प्रतिशत होने का लाभ झारखंड को नहीं मिल पाता है।[13]

गढ़वा जिले की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों के अभिशाप का उदाहरण है. प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण रहने के बावजूद अल्प आय वाला राज्य है. 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए सभी राज्यों को विकसित करना जरूरी है।

वनस्पति एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन और भूदृश्य का रूप होते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के एक कुंजी संघटक (झमल ब्वउचवदमदज) होते हैं। इनकी जल, कार्बन नाइट्रोजन जैसे कई जैव भू रसायन चक्रों के नियमन में संलग्नता होती है। वनस्पति सौर ऊर्जा को जैव द्रव्यमान में बदलते हैं और सभी आहार श्रृंखलाओं के आधार का निर्माण करते हैं। ये स्थानिक और वैश्विक ऊर्जा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे चक्रों की महत्ता न सिर्फ वैश्विक वनस्पति प्रारूप की दृष्टि से होती है बल्कि जलवायु की दृष्टि से भी होती है।[14]

वनस्पति के अध्ययन के पूर्व निम्न चार तथ्यों से अवगत होना आवश्यक है– (1) वनस्पति (2) प्राकृतिक वनस्पति (3) वनस्पति जात और (4) वन (थ्वतमेज) । 'वनस्पति' का तात्पर्य है पौधे अर्थात् वृक्ष, झाड़ी एवं घास की जातियाँ, जो एक निश्चित पर्यावरण में पायी जाती है। 'प्राकृतिक वनस्पति' का तात्पर्य वैसे पौधों से होता है जो मानव हस्तक्षेप के बगैर प्राकृतिक रूप से उगते और बढ़ते हैं।[15] इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। किंतु मानव हस्तक्षेप में उगे और बढ़े वनस्पति प्राकृतिक नहीं कहे जाते; जब इनका देखभाल छोड़ दिया जाता है तब ये प्राकृतिक कहे जाने लगते हैं। 'वनस्पति–जात' का तात्पर्य है किसी विशिष्ट प्रदेश या काल के विशिष्ट जाति में सूचीबद्ध पेड़–पौधे । 'वन' वह वनस्पति–संरचना है जिसमें वृक्ष पास–पास उगे होते हैं तथा उनके वितान परस्पर सटे होते हैं ताकि पत्तियाँ धरातल पर छाया करे। दूसरी परिभाषा यह भी कही जाती है कि वन पारिस्थितिक अनुक्रम के चरमरूप होते हैं।

पादप विज्ञानियों के अनुसार झारखण्ड देशज या स्थानीय और विदेशज वनस्पति–जात से परिपूर्ण है। विदेशज पादपों में कुछ हानिकर भी हैं जैसे लेन्टाना जलकुम्भी पार्थेनियम और यूकेलिप्टस। विदेशज पादपों के आगमन का क्रम अभी भी जारी है। झारखण्ड में उष्ण कटिबंधीय कुलों (ठिपसपमे) के पौधे मिलते हैं।[16]

गढ़वा जिले में वनस्पतियाँ निम्न रूपों में उपलब्ध हैं– वृक्ष (ज्तमम), झाड़ी महालता लता शाकीय और फफूंद । जल की आवश्यकता के अनुसार झारखण्ड में सर्वाधिक ट्रोपोफाइट्स शुष्कद्रोदिभद् प्रकृति की वनस्पतियाँ मिलती है। ये जल की कमी का सामना वसन्त काल में अपने पत्तों को गिराकर करती है। इसलिए इन्हें पर्णपाती (कमबपकनवने) कहते हैं।

वनों का वितरण :

पादप समुदाय अपने रूप एवं पारिस्थितिक विशेषताओं के सन्दर्भ में, एक वर्ग के रूप में सुनियोजित स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसी के आधार पर वन, झाड़ी तथा घास के मैदान के बीच सामान्य रूप से भेद किया जांता है। किसी विशिष्ट प्राकृतिक आवास में वनस्पति की वृद्धि और विकास का सीधा संबंध तापमान, वर्षण, मृदा, ऊँचाई, समुद्र से दूरी, ह्यूमस की मोटाई, धूप, वायु और ढाल के पहलुओं आदि से होता है।[17] झारखण्ड में इन्हीं कारकों से वन का वितरण प्रभावित होता दिखाई देता है। प्रस्तुत है इसका कालिक एवं स्थानिक वितरण का विवेचन ।

आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट करता है कि झारखण्ड में 1957–58 में 3352 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वन था जो कुल क्षेत्रफल का 42.05 प्रतिशत भूभाग में विस्तृत था। 1988–89 में वन कटकर 2295 हजार हेक्टेयर में रह गया। यह 28.79 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर है।[18]

वनों के प्रकार :

विद्वानों ने वनों को कई आधारों पर विभाजित किया है। जैसे अधिसूचना आधारित वन, घनत्व आधारित, रचना आधारित और स्वामित्व आधारित।[19] इन्हें समझना आवश्यक है। अधिसूचना आधारित वन वे होते हैं जो सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। इनके तीन प्रकार होते हैं। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन । घनत्व आधारित वन में वृक्षों की सघनता को आधार बनाया जाता है। इसका सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा किया जाता है। रचना आधारित वन का तात्पर्य है वृक्षों की पत्तियों का आकार। इस दृष्टि से वन दो प्रकार के होते हैं–चौड़ी पत्ती वाले और नुकीली पत्ती वाले। स्वामित्व की दृष्टि से वनों के तीन प्रकार हैं– राजकीय वन सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन है झारखण्ड के सन्दर्भ में उपर्युक्त प्रकारों में से कुछ का विवरण निम्नवत्

गढ़वा जिले में अधिसूचित वनों के अन्तर्गत आरक्षित वन 18.58 प्रतिशत, सुरक्षित वन 81.28 प्रतिशत और अवर्गीकृत वन 0.14 प्रतिशत क्षेत्र दर्ज किये जाते हैं। सघनता के अनुसार वनों के निम्न प्रकार झारखण्ड में विद्यमान हैं।[20]

झारखण्ड भारत द्वारा कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत पैदा करता है। इस उद्योग की प्रमुखता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि झारखण्ड में लगभग 1.3 लाख जनजातीय जनसंख्या इसमें संलग्न है। इतने ही परिवार इनसे धागे निकालने में लगे हैं। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है। जिसकी प्रचुर मात्रा यहाँ के वनों में है।बाँस लघु वनोत्पाद में बाँस का अपना अलग महत्व है क्योंकि झारखण्ड में अनेक आदिवासी एवं कई अनुसूचित जातियाँ बाँस द्वारा खेती–गृहस्थी के सामान तैयार कर सीधे बाजार में बेचती हैं एवं अपनी जीविका चलाती हैं। लेकिन व्यापक व्यापारिक स्तर पर भी इनका महत्व है क्योंकि, घेरे बनाने में, कागज उद्योग में, टेन्ट हाउस चलाने में, मकान बनाने में, इनकी प्रमुख भूमिका रहती है।[21]

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

वननीति

वनसंसाधन को इसीलिए महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है क्योंकि इसका सम्बन्ध मानव जीवन से बहुत नजदीक का है। वन के बगैर मानव जीवन का अस्तित्व अस्त–व्यस्त हो सकता है। वन का सम्बन्ध मृदाक्षरण, उर्वरता वृद्धि, जलस्तर को ठीक बनाए रखना, तापमान नियंत्रित करना, पर्यावरण शुद्ध रखना, वर्षा को आकर्षित करने से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य को बनाये रखने तक में यह मानव की मदद करता है।[22] ऐसे महत्वपूर्ण वन का दिनानुदिन ह्रास होना दुःखद पहलू है एवं चिंता का भी विषय है। अभी तीस चालीस वर्ष पूर्व तक यहाँ 45 प्रतिशत भूमि में वन था किंतु आज यह 29 प्रतिशत क्षेत्र में ही

वन प्रबंधन :

उपर्युक्त वननीति वन प्रबंधन का ही एक आवश्यक अंग है। वन प्रबंधन का तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र में वन के आदर्श को बनाये रखने के लिए किये जाने वाले उपाय, व्यवस्था एवं नीतियों की सम्मिलित व्यवस्था।[23]

गढ़वा जिले में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882–85 में जे० एफ० हैबीट द्वारा किया गया था। हैबीट की रिपोर्ट के आलोक में ही तत्कालीन बंगाल सरकार ने 1909 में बनों की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। लेकिन यह एक औपचारिकता ही थी। आजादी के पूर्व यहाँ 95 प्रतिशत वन निजी थे जिनका सरकारीकरण हुआ । इसके बाद से लगातार वनों का प्रतिशत घटता जा रहा है। अभी हाल तक (1985–86) यहाँ 42 प्रतिशत क्षेत्र में वन था जो आज 29 प्रतिशत रह गया है।[24] इसे 33 प्रतिशत तक बनाये रखने के लिए तथा आम जनों को वनोत्पाद से लाभान्वित करते रहने के लिए वन प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन आवश्यक है–

नवीन वन रोपण का गहन कार्यक्रम चलाया जाए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से वनरोपण हो, औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप वृक्षों का चयन कर रोपण किया जाएँ, उच्च उत्पादकता वाले वृक्ष, शीघ्र तैयार होने वाले वृक्षों को लगाया जाय, पेड़ों को काटने की पुरानी अवैज्ञानिक पद्धति को छोड़कर नयी आधुनिक यांत्रिक पद्धति अपनायी जाय, जंगल को आग एवं अनावश्यक कीड़ों–

आर्थिक मूल्य

अनेक वन्य प्राणियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। मत्स्योद्योग से ही भर में लगभग 1000 लाख टन भोजन प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। लोग वन्य प्राणियों और उनसे प्राप्त उत्पादों के व्यापार करते हैं और भारी लाभ कमाते हैं। बहुत सारे लोग अन्य प्राणियों को मारकार खाते है। उनके मांस, सिंह, खाल को बेच देते हैं यद्यपि आज के परिवेश में वन्य जीवों का भोजन सामग्री के रूप में निषिद्ध है।[25]

गढ़वा जिले व्याघ्र आरक्षित वन झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू ज़िले में स्थित है। यह 1947 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षों में से एक है। पलामू व्याघ्र आरक्ष 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पलामू वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य के कोर क्षेत्र 226 वर्ग किलोमीटर को बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। पलामू आरक्ष के मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं बाघ, हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर और चीतल।[26]

गढ़वा जिले ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सन 1857 की क्रांति में पलामू ने अहम भूमिका निभाई थी। चेरो राजाओं द्वारा निर्मित दो किलों के खंडहर पलामू व्याघ्र आरक्ष में विद्यमान हैं। पलामू में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे शुष्क मिश्रित वन, साल के वन और बांस के झुरमुट, जिनमें सैकड़ों वन्य जीव रहते हैं। पलामू के वन तीन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये नदियां हैं उत्तर कोयल औरंगा और बूढ़ा। 200 से अधिक गांव पलामू व्याघ्र आरक्ष पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर हैं। इन गांवों की मुख्य आबादी जनजातीय है। इन गांवों में लगभग 1,00,0000 लोग रहते हैं। पलामू के खूबसूरत वन, घाटियां और पहाड़ियां तथा वहां के शानदार जीव–जंतु बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पलामू में वैज्ञानिक संरक्षण प्रयासों का इतिहास काफी लंबा है। देश में बाघों की गणना पहली बार पलामू में ही सन 1932 को हुई थी।

गढ़वा जिले की प्रथम प्रबंध योजना (1947–75 से 1978–79) भारतीय वन सेवा के श्री बी. एन. सिन्हा ने तैयार की। आप उस समय रांची कार्यालय में दक्षिणी अंचल के योजना अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे जल–स्रोतों का विकास, अवैध शिकार की रोकथाम, जंगल में मवेशियों की चराई नियंत्रित करना, अग्नि सुरक्षा प्रबंध और आरक्ष के लिए बेहतर संरचनात्मक सुविधाएं प्राप्त करना।[27]

मुख्यमंत्री जन वन योजना

झारखण्ड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाया जाना आवश्यक है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ– साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव को कम किया जा सकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य मे **"मुख्यमंत्री जन वन योजना"** लागू करने का प्रस्ताव है।[28]

योजना के उद्देश्य

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना।
2. वृक्षारोपण के माध्यम से भू–जल संरक्षण करना।
3. निजी क्षेत्रो में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना।
4. किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना।
5. राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना योजना के घटक

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

वृक्षारोपण हेतु निर्धारित प्रजातियाँ :–

(क) फलदार प्रजाति– कलमी आम, कटहल, अमरूद, आंवला, बेल,चीकू, नाशपाती, नख (बब्बूगोश), कलमी शहतूत, बडहर एवं लीची।

(ख) काष्ठ प्रजाति– शीशम,काला शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकलिप्टस, एकासिया,अर्जुन, आसन, बीजा, काज, सलई धौरा (घवडा) खैर, कुसुम, जामुन, नीम, हरे, बहेड़ा।

वनरोपण कर सकेंगे।

कालान्तर मे यदि इन प्रजातियों से अतिरिक्त अन्य प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक महसूस किया जाता है, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची की अनुमति से अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा सकेगा

वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता विभागीय पौधशाला एवं उसमें उपलब्ध पौधों की पूर्ण सूची विभागीय वेबसाईट http%@@forest-jharkhand-gov-in पर उपलब्ध है। लाभुकों को विभागीय पौधशाला में उपलब्ध पौधों की आपूर्ति की जा सकेगी अथवा लाभुक पौधों की आपूर्ति अन्य श्रोतो से भी कर सकेंगे। फलदार पौधे एवं कलमी फलदार पौधे भारत सरकार के संस्थान, राज्य सरकार की पौधशालाओं से सरकार/संस्थान द्वारा निर्धारित विक्रय दर पर भी क्रय किये जा सकते है।[29] वृक्षारोपण किये गये पौधों का सुरक्षा का दायित्व लाभुक का होगा।

इस योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक लाभुक के लिये 0.5 एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी।

संदर्भ सूची

1. प्रयेश कुमार वर्मा, वनरक्षी प्रशिक्षण पठन सामग्री, सामाजिक वानिकी एवं ग्राम वन प्रबंधन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, पृ.–13
2. वन एवं पर्यावरण विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन 2014–2015, कार्य प्रतिवेदन 2015–2016 पृ.–45
3. स्टुअर्ट कॉरब्रिज, सारा जेविट और संजय कुमार, झारखंडः पर्यावरण, विकास और जातीयता (नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004 पृष्ठ 55–56
4. कुमार सुरेश सिंह (सं.), भारत में जनजातीय आंदोलन, खंड 1 (नई दिल्लीः मनोहर प्रकाशन, 1982, पृष्ठ 89–90
5. आशुतोष कुमार, "नए राज्यों की माँग की खोज।" इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली खंड 45, अंक 33, 2010, पृष्ठ 15–18
6. अमित प्रकाश, "विकास और पहचान की राजनीति", ओरिएंट लॉन्गमैन प्रकाशन, 2001 पृष्ठ 35
7. वही, पृष्ठ 36
8. रोमिला थापर और एचएम सिद्दीकी, 'छोटानागपुरः झारखंड आंदोलन में पूर्व–औपनिवेशिक और औपनिवेशिक स्थिति, भारत में स्वदेशी लोगों का स्वायत्तता के लिए संघर्ष, आरडी मुंडा और एस बोसु मलिक द्वारा संपादित, 2003 पृष्ठ 65
9. वही, पृष्ठ 66
10. वही, पृष्ठ 67
11. प्रियेष कुमार गुप्ता, वनरक्षी प्रशिक्षण पठन सामग्री, वन्य प्राणी संरक्षण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड पृ.–1
12. वही, पृ.–2
13. वही, पृ.–3
14. .सुरेष चन्द्र बंसल, नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाषन, मेरठ पृ0–78
15. वही, पृष्ठ 79
16. बी.पी.राव एवं नन्देश्वर शर्मा, नगरीय भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर पृ.–105
17. झारखण्ड– एक अध्ययन, प्रतियोगिता साहित्य, आगरा पृ0–66
18. झारखण्ड का भूगोल –राजकुमार तिवारी, राजेष पब्लिकेषन, नई दिल्ली पृ.–155
19. वही, पृष्ठ 156
20. वही, पृष्ठ 157
21. विमला चरण शर्मा, छोटानागपुर का भूगोल, राजेष पब्लिकेषन, नई दिल्ली पृ.–98
22. वही, पृष्ठ 158
23. झारखंड राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, जागरण जोश, 7 जनवरी 2021 को पुनःप्राप्त,
24. लवलोंग (चतरा) वन्यजीव अभयारण्य, जंगली पगडंडियाँ, 7 जनवरी 2021 को पुनःप्राप्त
25. सुनील कुमार सिंह, झारखंड परिदृश्य, क्रॉउन पब्लिकेशंस, 2014, पृ.–202–203
26. वही, पृ.–203–204
27. वन पर्यावरण एवंज जलवायु परिवर्तन विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन 2019–2020,